मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

F-4-42/09/7-48

भोपाल, दिनांक 8-6-09

क्रमांक F-4-42/09/7-48

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग.
2. समस्त विभागाध्यक्ष मध्यप्रदेश
3. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश
4. समस्त कलेक्टर्स मध्यप्रदेश

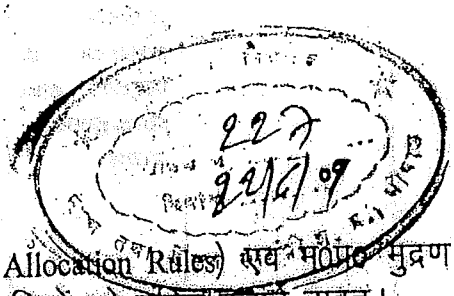

DC(VK)
कक्ष-2

विषय :— म0प्र0 कार्य आवंटन नियम (Bussiness Allocation Rules) एवं म0प्र0 मुद्रण और जिल्दसाजी नियम के अंतर्गत मुद्रण सामग्रियों को मुद्रित कराने बावत्।

—0—

18 JUN 2009

प्रायः यह देखा जा रहा है कि कई विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा शासकीय मुद्रण का कार्य शासकीय मुद्रणालयों से नहीं कराया जा रहा है। शासकीय कार्यालयों द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन, ब्रोसर इत्यादि का मुद्रण निजी मुद्रणालयों से सीधे या किसी पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से करावाया जा रहा है। इससे मुद्रण से होने वाले व्यय की राशि शासन के कोष में जमा न होकर निजी व्यवसाईयों के हाथ में जा रही है। कार्य आवंटन नियम, (Bussiness Allocation Rules) एवं 'मुद्रण और जिल्दसाजी नियम' के अनुसार सभी प्रकार के विभागीय मुद्रण कार्य शासकीय विभागों के द्वारा शासकीय मुद्रणालय में मुद्रण हेतु भेजा जाना चाहिए। निजी प्रेस में मुद्रण विषय भी राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

उसी तरह म0प्र0 मुद्रण तथा जिल्दसाजी नियम के नियम के नियम 52 क प्रावधान निम्नानुसार है :—

"अधीक्षक (वर्तमान में नियंत्रक) शासन मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म0प्र0 क छोड़ अन्य अधिकारियों द्वारा गैर सरकारी मुद्रणालयों में मुद्रण कार्य करवान सर्वथा निषिद्ध है और आवश्यक होने पर गैर सरकारी मुद्रणालयों में मुद्रण क लिये सभी प्रबंध उसके (नियंत्रक) माध्यम से किये जाने चाहिये।"

3. म0प्र0 शासन वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों संबंधी परिपत्र क्रमांक ए 17—ए, ए 5—सी/चार दिनांक 27 मई 1997 द्वारा जारी Delegation of Power (वित्ती अधिकार संबंधी पुस्तक—1995) के भाग एक के खण्ड—II में निम्नानुसार प्रावधान किया ग है :—

S.No	Reference	Description	Authority competent of exercise the powers	Extent delegation	Condition
1	2	3	4	5	6
30	M.P.F.C. Vol-II Appendix-6 (56)	Get Printing work done through local private presses in urgent and emergency cases	(i) Administrative Derpartment	Full Powers	Subject to the condition that :-
			(ii) Head of Department	Rs. 1 lakh in a year but not more than Rs 25,000 in each case	(i) The Government Press is unable to undertake the work of execution in the time limit.
			(iii) Collector/ District & Sessions Judges/Divisional Heads.	Rs. 50,000 in a year subject to a ceiling of Rs, 10,000 in each case	(ii) The rates are competitive (obtained by inviting sealed tenders/ quotations from at least three presses as per rules).
			(iv) Head Office	Up Rs. 25,000 to Rs, 5,000 in each case.	

4. शासकीय विभागों के द्वारा मुद्रण कार्य नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री से बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिये निजी मुद्रकों/म0प्र0 माध्यम से नहीं कराया जा सकता है। **यदि बिना NOC प्राप्त किये मुद्रण कार्य कराया जाता है तो यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।**

5. यह भी अनुभव किया गया है कि कतिपय विभाग/कार्यालय शासकीय मुद्रणालयों को मुद्रण कराने हेतु बहुत कम समय में मुद्रण करने हेतु मुद्रण कार्य भेजते हैं जो समय बताया जाता है वह अव्यवहारिक होता है। इतने समय में मुद्रण कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग/कार्यालय अव्यवहारिक समय सीमा बताकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते है ताकि अन्यत्र निजी मुद्रणालय में छपाई का कार्य किया जा सके। **यह सर्वथा अनुचित है।**

6. उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कृपया शासन के नियम और वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार ही समस्त शासकीय मुद्रण कार्य शासकीय मुद्रणालयों (Govt. Press) से ही कराये।

7. गत वर्षों में शासकीय मुद्रणालयों की मुद्रण क्षमता में वृद्धि भी हुई है। कृपया भविष्य में सारे शासकीय मुद्रण शासकीय मुद्रणालयों से करवाएं ।

(मदन मोहन उपाध्याय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 8-6-09

पृ॰ क्रमांक F4-42/09/सात-शा-7
प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया विभागों के अंकेक्षण के समय उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही विभागों द्वारा की गई है इसमें विशेष रूप से परीक्षण किया जावे एवं नियमों के उल्लंघन की सूचना शासन को एवं वित्त विभाग को दी जावे।

4. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म0प्र0 भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ. 5–4/2003/सात–5 भोपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2003

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
4. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश

विषयः– म.प्र. कार्य आवंटन नियम, **(Business Allocation Rules)** एवं म.प्र. मुद्रण और जिल्दसाजी नियम के अन्तर्गत मुद्रण सामग्रियों को मुद्रित कराने बाबत्।

पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि कई विभागों के अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा शासकीय मुद्रण का कार्य शासकीय मुद्रणालयों से नहीं किया जा रहा है। शासकीय कार्यालयों द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन, ब्रोसर इत्यादि का मुद्रण निजी मुद्रणालयों से सीधे या किसी पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से करवाया जा रहा है। इससे मुद्रण से होने वाले व्यय की राशि शासन के कोष में जमा न होकर निजी व्यवसाईयों के हाथ में जा रही है। कार्य आवंटन नियम, (Business Allocation Rules) एवं 'मुद्रण और जिल्दसाजी नियम' के अनुसार सभी प्रकार के विभागीय मुद्रण कार्य शासकीय मुद्रणालय में मुद्रण हेतु भेजा जाना चाहिए एवं किसी भी स्थिति में निजी मुद्रकों या पंजीकृत संस्था के माध्यम से मुद्रण नहीं करवाया जाना चाहिये। निजी प्रेस में मुद्रण विषय भी राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

उसी तरह म0प्र0 मुद्रण तथा जिल्दसाजी नियम के नियम 52 का प्रावधान निम्नानुसार हैः–

"अधीक्षक (वर्तमान में नियंत्रक) शासन मुद्रण तथा लेखन सामग्री म.प्र.को छोड अन्य अधिकारियों द्वारा गैर सरकारी मुद्रणालयों में मुद्रण कार्य करवाना सर्वधा निषिद्ध है और आवश्यक होने पर गैर सरकारी मुद्रणालयों में मुद्रण के लये सभी प्रबंध उसके (नियंत्रक) मार्फत् किये जाने चाहिये।"

3/ म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों संबंधी परिपत्र क्रमांक एफ 17–ए,ए 5–सी/चार/दिनांक 27 मई 1997 द्वारा जारी Delegation of Power (वित्त अधिकार संबंधी पुस्तक) के भाग एक में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :–

S.No.	Reference	Descritiption	Authority competent to exercise the powers	Extent of delegation	Conditions
1.	2.	3.	4.	5.	6.
30	M.P.F.C.Vol-II Appendix-6(56)	Get Printing work done through local private presses in urgent and emergency cases.	(i) Administrative Department (ii) Head of Department	Full powers Rs. 1 lakh in a year but not more that Rs	Subject to the condition that:- (i) The Governemtn Press is unable

				25,000 in each case.	to undertake the work of execution in the time limit.
			(iii) Collector/District & Sessions Judges/Divisional Heads.	Rs. 50,000 in a Year subject to a ceiling of Rs. 10,000 in each case	(ii) The rates are competitive (obtained by invition sealed tenders/quotations from at least three presses as per rules).
			(iv) Head Office	Up to Rs.25,000 subject to Rs. 5,000 in each case	

4/ वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त उपरोक्त वित्तीय अधिकार से अधिक की राशि का मुद्रण नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री से बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिये निजी मुद्रकों/म.प्र.माध्यम से नहीं कराया जा सकता है। यदि बिना NOC प्राप्त किये मुद्रण कार्य कराया जाता है तो यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

5/ यह भी अनुभव किया गया है कि कतिपय विभाग/कार्यालय शासकीय मुद्रणालयों को मुद्रण कराने हेतु बहुत कम समय में मुद्रण करने हेतु मुद्रण कार्य भेजते हैं। जो समय बताया जाता है वह अव्यवहारिक होता है। इतने समय में मुद्रण कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। ऐसी प्रतीत होता है कि विभाग/कार्यालय अव्यवहारिक समय सीमा बताकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते है ताकि अन्यत्र निजी मुद्रणालय में छपाई का कार्य किया जा सके। यह सर्वथा अनुचित है। राज्य शासन के अपने मुद्रणालय होते हुए निजी मुद्रकों को लाभ पहुंचाने के इरादे से मुद्रण कार्य अन्यत्र कराना अनैतिक है।

6/ शासन के कुछ उपक्रम जिनकी अपनी मुद्रण क्षमता नहीं के बराबर है विभिन्न शासकीय विभागों/शासकीय उपक्रमों से शासकीय मुद्रण कार्य लेकर निजी मुद्रकों को सौंप देते हैं एवं उसमें सुपरविजन चार्ज जोडकर उन शासकीय विभागों को देयक भेजते हैं। इससे शासकीय विभागों/कार्यालयों को उक्त मुद्रण के कार्य के लिये अधिक व्यय करना पडता है। शासन द्वारा शासकीय मुद्रणालयों में नई एवं आधुनिक मशीनें लगवाई गई है, जिसमें 4–कलर आफसेट प्रिंटिंग मशीन प्रमुख है। वर्ष 2003 का शासकीय रंगीन कैलेण्डर का मुद्रण शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में स्थापित इसी मशीन पर ही किया गया है। वर्ष 2003 के कैलेण्डर के मुद्रण को लगभग सभी विभागों द्वारा सराहा गया है।

7/ उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कृपया शासन के नियम और वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अनुसार ही समस्त शासकीय मुद्रण कार्य शासकीय मुद्रणालयों (Govt.Press) से ही करायें।

8/ गत वर्षो में शासकीय मुद्रणालयों को लगातार की गई आधुनिकीकरण से मुद्रण क्षमता में काफी वृद्धि हुई है और इनमें शासन किसी भी मुद्रण कार्य समय सीमा में करने की क्षमता है। कृपया भविष्य में सारे शासकीय मुद्रण शासकीय मुद्रणालयों से करवाएं एवं शासकीय धन निजी मुद्रकों को लाभ पहुंचाने के लिऐ व्यय होने से बचाएं।

(सत्यानन्द मिश्र)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग

पृ. क्रमांक एफ. 5–4/2003/सात–5 भोपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2003
प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचना अग्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया विभागों के अंकेक्षण के समय उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही विभागों द्वारा की गई है इसमें विशेष रूप से परीक्षण किया जावे एवं नियमों के उल्लंघन की सूचना शासन को एवं वित्त विभाग को दी जावे।

4– नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री म.प्र. भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग